संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988

[1]**सा0का0नि0 1093(अ):** निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाए गए है, और उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:-

संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988
(13 दिसम्बर, 2010 तक संशोधित रूप में)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 अभिप्रेत है।

(ख) "कार्यालय-व्यय" से लेखन सामग्री, डाक टिकट और लिपिकीय सहायता संबंधी ऐसे व्यय अभिप्रेत हैं, जो अन्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

[2][**3. कार्यालय-व्यय भत्ते की रकम**: कोई संसद् सदस्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन (पैंतालीस हजार रुपए प्रति मास) की दर से कार्यालय-व्यय भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसमें से-

(क) पन्द्रह हजार रुपए लेखन सामग्री मदों और डाक महसूल संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए होंगे ; और

(ख) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो सचिवालीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा नियोजित किया जाए (किए जाएं), तीस हजार रुपए तक का संदाय कर सकेगा और ऐसा एक व्यक्ति सदस्य द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया कम्प्यूटर साक्षर होगा ।]

4. कार्यालय-व्यय भत्ता अन्य भत्तों के अतिरिक्त होगा:- संदेह दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यालय-व्यय भत्ता, इस समय प्रवृत्त अन्य किन्हीं नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य भत्तों या सुविधाओं (नकद या वस्तु के रूप में) के अतिरिक्त होगा, न कि उनके अल्पीकरण में।

[फा0सं025/1/एम0एस0ए0/88]

---

[1] दिनांक 25 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3;उपखण्ड (i) में प्रकाशित 1.4.1988 से प्रभावी ।

[2] दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 966 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।